

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक 551 दिनांक 14.03.2024 द्वारा श्री विजय प्रकाश, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN03114) के विरुद्ध प्रतिवेदित किया गया है कि ये 03.11.2023 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं, जिसके कारण सर्वे कार्य प्रभावित हुआ है। साथ ही इनके असंतोषप्रद उपलब्धि के लिए बंदोबस्त स्तर पर इनका मार्च, 2023, जून, 2023 के साथ सितम्बर, 2023 से मानदेय भुगतान नहीं किया गया है। फलस्वरूप इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

प्रतिवेदित आरोप के आलोक में निदेशालय, भू-अभिलेख एवं परिमाण के पत्रांक 1767 दिनांक 09.04.2024 द्वारा श्री प्रकाश से 03 दिनों के अन्दर इस शर्त के साथ स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी कि निर्धारित अवधि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति लम्बी अवधि से अनाधिकृत अनपुस्थित रहने के फलस्वरूप इनका संविदा नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा। इतने स्पष्ट निदेश के बावजूद भी इनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं रहने की स्थिति में इन्हें अपना पक्ष रखने का एक अंतिम अवसर देते हुए पुनः सशर्त स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। इसके बावजूद भी इनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है।

स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं रहने की स्थिति में बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं इनके कार्य डायरी तथा ऑनलाईन उपस्थिति की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाता हूँ कि इनके द्वारा अमीन डायरी का संधारण नहीं किया गया है। साथ ही ये सितम्बर, 2023 से लगातार अनुपस्थित हैं। इस संबंध में अपना पक्ष रखने का इन्हें दो बार अवसर दिया गया है, परन्तु इनके द्वारा वरीय पदाधिकारी के निदेश की अवहेलना बार-बार की गयी है, जो इनके स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता एवं कार्य के प्रति लापरवाही को स्वतः परिलक्षित करता है।

विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के उद्देश्य से सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मी भी अवगत हैं। निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने हेतु प्रक्रमवार समय सीमा निर्धारित किया गया है। ऐसे संविदा कर्मियों के रहते निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। साथ ही इनके कृत्य का कुप्रभाव अन्य कर्मियों पर भी पड़ सकता है, इसके दृष्टिगत इनका संविदा नियोजन समाप्त किया जाना ही उचित होगा।

अतः उपरोक्त के आलोक में बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधित नियमावली, 2022 के कंडिका-8 के आलोक में श्री विजय प्रकाश, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN03114) का संविदा नियोजन इनके अनुपस्थिति की तिथि दिनांक 03.11.2023 से समाप्त किया जाता है।

(जय सिंह)
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक:- 01/भू0अ0नि0(13)आरोप(बेगूसराय)-10/2023.13655 पटना, दिनांक:- 07/09/2024

प्रतिलिपि :- श्री विजय प्रकाश, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN03114), बंदोबस्त कार्यालय, बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक:- 01/भू0अ0नि0(13)आरोप(बेगूसराय)-10/2023. 13655 पटना, दिनांक 07/09/2024
प्रतिलिपि :- बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक:- 01/भू0अ0नि0(13)आरोप(बेगूसराय)-10/2023. 13655 पटना, दिनांक 07/09/2024
प्रतिलिपि :- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय
को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने तथा इसकी स्कैन कॉपी R2R अन्तर्गत
इनकी व्यक्तिगत संचिका में भी अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण